Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमन्द में खनिज विभाग में कार्यरत बॉर्डर होमगार्ड को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *20 मई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की राजसमन्द इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये बॉर्डर होमगार्ड राजेश कुमार हाल खनिज विभाग, राजसमन्द को परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. राजसमन्द इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके रेती के डम्पर को छोडने की एवज में खनिज विभाग राजसमन्द में कार्यरत बॉर्डर होमगार्ड राजेश कुमार द्वारा 50 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की राजसमन्द इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हर्ष रतनू** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये राजेश कुमार पुत्र श्री मदनलाल ओड निवासी 6 ई.ई.ए., थाना पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर हाल बॉर्डर होमगार्ड, खनिज विभाग, राजसमन्द को परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।